न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 40/2012
प्रविष्टि दिनांकः— 22.11.2012

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा

..........प्रार्थी

बनाम

हमीदा पुत्री युसुफ अली जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा

.... अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1970

उपस्थित :(1) श्री जुगनू शर्मा, अभिभाषक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.05.2017

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि विपक्षीया के पिता युसुफ अली उर्फ बोदू पुत्र अकबर अली जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 1698/3 रकबा 7.16 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06.06.1965 को आवण्टित की गई थी। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त भूमि को काश्त नहीं करने के कारण तहसीलदार मालपुरा ने उक्त आवण्टन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र मय आवण्टन पत्रावली न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) ने सबूत दस्तावेजों में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1219 सम्वत 2066—69 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2066—69, नक्श ट्रेस एवं रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिए नोटिस तलबी की गई। विपक्षी की और से सलीम नकवी ने वकलातनामा पेश किया गया परन्तु उनके द्वारा पेरवी न करने व पेशी पर उपस्थित न होने पर प्रकरण पुराना होने से बहस का अवसर बंद कर उनके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया के पिता युसुफ अली उर्फ बोदू जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा को भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 1698/3 रकबा 7.16 बीघा वाके ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा कृषि प्रयोजार्थ दिनांक 06.06.1965 को आवण्टन की गई थी। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा सम्वत 2022—2066 तथा 2068 से आदिनांक काश्त नहीं की है। पत्रावली पर प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2066—69 में मात्र सम्वत 2067 में ही काश्त किया जाना अंकित है। इस प्रकार आवण्टी (अप्रार्थी) अथवा विपक्षीया द्वारा आवण्टित भूमि पर निरन्तर काश्त न कर आवण्टन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः विवादित भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवण्टन निरस्त योग्य है।

5. हमनें राजकीय पेरोकार की बहस को सुना, उस पर मनन किया तथा आवण्टन पत्रावली एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानर्पूवक अवलोकन किया। अप्रार्थीया के पिता युसुफ अली उर्फ बोदू जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 1698/3 रकबा 7.16 बीघा वाके ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा में दिनांक 06.06.1965 को भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन किया है जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में आवण्टी की पुत्री हमीदा के नाम गैर खातेदारी में हो चुका है जो जमाबन्दी खाता संख्या 1219 सम्वत 2066–69 से स्पष्ट है। प्रार्थी तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी आवण्टित भूमि पर अप्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है। विवादित भूमि खसरा नंबर 1698/3 रकबा 7.16 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में आवण्टी की पुत्री की गैर खातेदारी में दर्ज अवश्य है परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदारी सम्वत 2066–69 अनुसार उक्त भूमि बारानी ।।। है। विवादित भूमि का गैरखातेदारी का नामांतकरण सं0 956 आवंटी के पक्ष में स्वीकार किया गया है किन्तु गैर खातेदारी से खातेदारी का जो नामांतकरण सं0 1667 दिनांक 06.11.78 आवंटी के नाम भरा गया है उसे आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर दिनांक 6.11.78 को तहसीलदार मालपुरा द्वारा खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवंटी की मृत्यु होने पर नामांतकरण सं0 3884 उसकी पुत्री के नाम स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा आवर्ण्टी को उपरोक्त सिवायचक भूमि निःशुल्क कृषि प्रयोजनार्थ उसके परिवार के जीविकोपार्जन हेतु आवण्टन की गई थी परन्तु जब आवण्टी व उसके वारिसान द्वारा निरन्तर काश्त ही नहीं की गई तो स्पष्ट है कि उनके द्वारा विवादित भूमि पर निरन्तर काश्त न कर आवण्टन शर्तो का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजत भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त विवेचन की रोशनी में तहसीलदार मालपुरा का प्रार्थना पत्र 14 (4) समर्थन योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) स्वीकार कर अप्रार्थीया के पिता युसुफ अली को विवादित भूमि का किया गया आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर तहसीलदार मालपुरा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के पिता युसुफ अली उर्फ बोदू पुत्र अकबर अली मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 1698/3 रकबा 7.16 बीघा वाके ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा का दिनांक 06.06.1965 को किया गया आवण्टन निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 05.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0